

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-10182/अलेसे-III/ 1084

दिनांक:- 04-10-2021

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में कॉलम 5 में अंकित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. स.	लिंक नंबर	नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था
1.	2.	3.	4.	5.	6
	10182	श्री विकास कुमार मीना	आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर	UGC NET- दिसम्बर 2020	NTA

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- प.(ई)निप/लिंक नंबर-10182/अलेसे-III/ 1084

दिनांक:- 04-10-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
- 2- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 3- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 4- श्री विकास कुमार मीना, कनिष्ठ लेखाकार, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)